



केन्द्रीय सूचना आयोग
दूसरा तल, बी विंग, अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066

संचित संख्या: CICOM/R/2017/01244/CR-1

दिनांक : 12.10.2017

सेवा में,

Shri Ravinder Kumar
H. No. 69, Gali No. 7,
B" Block Nasir Pur Colony,
New Delhi - 110045

विषय :- RTI Act, 2005 के तहत सूचना प्रदान करना.

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आपका आवेदन दिनांक 09.10.2017, इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक 11.10.2017 को प्राप्त हुआ है। जिसका उत्तर बिन्दुअनुसार इस प्रकार है: -

- 1 हलाकि इच्छित विषय से सम्बंधित कोई सूचना रिकॉर्ड में नहीं है फिर भी यह बताया जाता है कि जब भी आयोग में कोई Second Appeal की application लगाती है तो आयोग का प्रयास रहता है कि अति शीघ्र उस की Scrutiny की जाए। Scrutiny में अगर ज्ञात होता है कि सभी Mandatory जरूरते पूरी हो रही है (जैसे की Rule 8 of RTI Rules 2012 में वर्णित है) तो उसे पंजीकृत कर दिया जाता है। अगर Mandatory जरूरते पूरी नहीं हो रही होती है तो अपीलार्थी को सुविधा ज्ञापन के जरिये उन कमियों का वर्णन करते हुए प्रार्थना की जाती है कि वह अपनी उस अपील को ठीक करके पुनः आयोग को भर्जें।
- 2 हलाकि वर्णित विषय पर कोई गाइड लाइन्स रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है फिर भी आप Second Appeal के बारे में विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर 'FAQ' को पढ़ कर जान सकते हैं।
- 3 रिकॉर्ड में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है फिर भी आप जैसा कि उपर बताया गया है आयोग की वेबसाइट पर 'FAQ' का अवलोकन कर सकते हैं।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता नीचे दिया गया है:- **श्री राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, अगस्त क्रान्ति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066।**

(कृष्ण अवतार तलवार)
उप -सचिव पंजियक -उप /
केन्द्रीय रजिस्टरी - 1

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

कृष्ण अवतार तलवार)
उप -सचिव पंजियक -उप /